

23.11.2021

पत्रावली आज पेक्षा दुर्घट। प्रार्थी अधिवक्ता श्री
राजेशसिंह काठा उपस्थित। पुरोकार सरकार उपस्थित।
दोनो पक्षांची बहस सुनी गेली। पत्रावली को अवलोकने
किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा जाहिर किया गया
कि कोरोना काल की वजह से प्रार्थी दिनांक 14.06.2021
की पेची पर उपस्थित नहीं हो पाया था, जो कुमठिठुम
प्रतीत होने से प्रार्थी को सुनवाई को अवसर दिया
जाना न्याय संगत प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी द्वारा
प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील
संख्या 05/2021 निर्णय दिनांक 14.06.2021 को
अपास्त कर मूल अपील को: उच्च न्यायालय कर
मूल अपील में कार्रवाई कार्यवाही किए जाने के
निर्देश दिए जाते हैं। अतः पत्रावली के मूल मुद्दों
होकर न्याय से कम ही। एवं मूल अपील के साथ
नली है।

(भगवती प्रसाद)

जिला कलेक्टर, सिराहा

